XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 212-11/14 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.7.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 492–तीन/07 में पारित आदेश दिनांक 7.11.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.।

18
20-1-14

श्री. अवधेश सिंह ...एड द्वारा आज दिनांक 20-1-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

1- श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री भूपाल सिंह निवासी ग्राम भारतपुर तहसील कर्वी जिला चित्रकूट धाम हाल निवास उमरी रघुराज नगर जिला सतना म.प्र. ---------- आवेदिका ।

बनाम

1- रामप्रसाद तनय फुकुआ कुम्हार निवासी मोहल्ला बढ़ैया (कोलगवां) तहसील रघुराज नगर जिला सतना म.प्र.।

2- म.प्र. राज्य जरिए कलेक्टर सतना जिला सतना

--------- अना.गण।

राजस्व मंण्डल ग्वालियर के प्र.क्र. निगरानी-492-3/2007 मे पारित आदेश दि.7-11-2013 के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 भू.राजस्व संहिता .

मान्यवर,

पुनर्विलोकन के आधार :-

आवेदिका विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

1- प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं पेश दस्तावेजी साक्ष्य की ओर श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट नही हो सका है, इस कारण उन बिन्दुओं एवं साक्ष्य पर कोई विवेचन एवं निष्कर्ष नहीं आ पाने से यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है । आवेदिका की ओर से आदेश दिनांक 7-11-2013 को अभी तक अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे कोई चुनौती नही दी गयी है, केवल यह पुनर्विलोकन याचिका ही समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है ।

2- अवर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मात्र खसरे मे की जा रही प्रविष्टि को आधार बनाकर विवा-

क्र0 ---